संख्या –1312/1–10–2011–33(53)/2012

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ज्योतिबा फूलेनगर/मेरठ/खीरी/बहराइच/श्रावस्ती/सीतापुर/गोण्डा।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 25 मई, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदा राहत कार्यो हेतु धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू0 3,02,20,000/– (रूपये तीन करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	धनराशि (रू0 में)	जिलाधिकारी का संदर्भ/पत्र
1	ज्योतिबाफुले नगर	2,20,000/– (वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लम्बित भुगतान/वितरण हेतु अवशेष धनराशि की मॉग के आधार पर)	1769/44 (08)–09/दै0आ0सहा0/12, दिनांक 29.03.2012
2	मेरठ	25,00,000/–	277/सी0आर0ए0–दैवीआपदा/12 दिनांक 11.04.2012
3	खीरी	50,00,000/–	13/राहत–अग्निकांड–धनावंटन/2012–13/दै0आ0लि0, दि0 3–5–12
4	बहराइच	50,00,000/–	29/आपदा–तेरह–राहत–धनावंटन/2012–13, दिनॉक 04–05–2012
5	श्रावस्ती	1,00,00,000/–	1048/आपदा–तेरह–2011–12 दिनांक 08.05.2012
6–	सीतापुर	50,00,000/–	13–सी0एफ0–1/दै0आ0/आवंटन/

			2012–13 / राहत, दिनॉक 05–05–2012
7	गोण्डा	25,00,000 / –	154 / दैवी आपदा / आवंटन / 2012, दिनॉक 09–05–2012
	कुल योग	3,02,20,000 / –	

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैवी आपदाओं– अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बादल फटने, हिम स्खलन, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त किया जाय। सामान्य दुर्घटनाओं–सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा0प0सं0–78 / पी0एस0आर0 / 2012, दिनांक 24.01.2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या– 32–7 / 2011–NDM-1, दिनांक 16.01.2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहॉ राहत प्रदान करे के लिये मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी।

5. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मदो के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाये। शासनादेश संख्या – 4464 / 1–10–2008–14(45)–2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखत दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिशिचत करते हुये दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000 / – तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000 / –से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जायें।

6. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2012–13 में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। जनपद

ज्योतिबाफुलेनगर, जिसमें वर्ष 2007–08, 2008–09 के लम्बित भुगतान/वितरण हेतु अवशेष धनराशि की मांग की गयी है, को छोड़कर इससे पूर्व वर्षो के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

9. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री करली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

10. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को सर्मपित कर दिया जाये।

11. उक्त धनराशिं का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध करांया जाये।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-1312 (1)1–10–2012–33(53)/12, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त,मुरादाबाद/मेरठ/लखनऊ/देवीपाटन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,ज्योतिबाफुलेनगर,मेरठ,खीरी,बहराइच,श्रावस्ती, सीतापुर व गोण्डा।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त,उ0प्र0।
7. राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 25/9/12

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव।